



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 627

8 Aashadh, 1940(S)

Ranchi, Friday, 29th June, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

28th June, 2018

Notification No. 28/2018 – State Tax

S.O. No. 45 Dated 29th June, 2018-- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2018.
- (2) Save as otherwise provided, this notification shall be deemed to be effective from 19th June, 2018.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, -

- (i) in rule 58, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) For the purposes of Chapter XVI of these rules, a transporter who is registered in more than one State or Union Territory having the same Permanent Account Number, he may apply for a unique common enrolment number by submitting the details in **FORM GST ENR-02** using any one of his Goods and Services Tax Identification Numbers, and upon validation of the details furnished, a unique common enrolment number shall be generated and communicated to the said transporter:

Provided that where the said transporter has obtained a unique common enrolment number, he shall not be eligible to use any of the Goods and Services Tax Identification Numbers for the purposes of the said Chapter XVI.”;

- (ii) in rule 138C, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that where the circumstances so warrant, the Commissioner, or any other officer authorised by him, may, on sufficient cause being shown, extend the time for recording of the final report in Part B of **FORM EWB-03**, for a further period not exceeding three days.

Explanation.- The period of twenty four hours or, as the case may be, three days shall be counted from the midnight of the date on which the vehicle was intercepted.”;

(iii) in rule 142, in sub-rule (5), after the words and figures “of section 76”, the words and figures “or section 129 or section 130” shall be inserted;

(iv) after **FORM GST ENR-01**, the following FORM shall be inserted, namely:-

“FORM GST ENR-02

[See Rule 58(1A)]

Application for obtaining unique common enrolment number

[Only for transporters registered in more than one State or Union Territory having the same PAN]

1.	(a) Legal name	
	(b) PAN	

2. Detail of registrations having the same PAN

Sl. No	GSTIN	Trade Name	State/UT

3. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Signature

Place: _____

Name of Authorised Signatory

Date: _____

Designation/Status.....

For office use –

Enrolment no.-

Date -.”

[File.NoVaKar / GST / 04/ 2018]

By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,

Additional Chief Secretary-cum Commissioner.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* notification No. S.O- 28 State Tax, dated the 20th June, 2017, and last amended *vide* notification No. 26/2017-State Tax, dated the 28th June, 2018 published *vide* S.O 43, dated the 28th June, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 जून, 2018

अधिसूचना सं०. 28/2018- राज्य कर

एस. ओ- 45 दिनांक 29 जून, 2018-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियमावली, 2018 है।
- (2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, यह अधिसूचना 19 जून, 2018 से प्रवृत्त होगी ।
2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,--
 - (i) नियम 58 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(1क) इन नियमों के अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए, एक ही स्थायी खाता संख्या वाला कोई ऐसा परिवाहक, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है, अपनी किसी एक माल और सेवा कर पहचान संख्यांक का उपयोग करके प्ररूप जीएसटी ईएनआर-02 में ब्यौरे देते हुए विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक के लिए आवेदन कर सकेगा और दिए गए ब्यौरों का विधिमान्यकरण होने पर, विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक बनाया जाएगा और उसे उक्त परिवाहक को संसूचित किया जाएगा:

परंतु जहां उक्त परिवाहक ने विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक प्राप्त कर लिया है, वहां वह उक्त अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए किसी भी माल और सेवा कर पहचान संख्यांक के उपयोग का हकदार नहीं होगा ।”;

- (ii) नियम 138ग के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु जहां परिस्थितियां ऐसा अपेक्षित करें, वहां आयुक्त, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर, प्ररूप ईडब्ल्यूबी-03 के भाग ख में अंतिम रिपोर्ट अभिलिखित करने के समय को, तीन दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—यथास्थिति, चौबीस घंटे या तीन दिन की अवधि की संगणना उस तारीख की मध्यरात्रि से की जाएगी, जिसको यान बीच में रोका गया था ।”;

(iii) नियम 142 के उपनियम (5) में, “धारा 76 की उपधारा (3)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, “या धारा 129 या धारा 130” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“प्ररूप जीएसटी ईएनआर-02

[नियम 58(1क) देखिए]

विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन

[एक ही स्थायी खाता संख्या वाले केवल ऐसे परिवहक के लिए, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत हैं]

1.	(क) विधिक नाम	
	(ख) स्थायी खाता संख्या	

2. एक ही स्थायी खाता संख्या वाले के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

क्रम सं०	माल और सेवा कर पहचान संख्यांक	व्यापार का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

3. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और उसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान :

तारीख

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पद/प्रास्थिति

कार्यालय उपयोग के लिए-

नामांकन संख्या --

तारीख -- ।”

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

अपर मुख्य सचिव-सह-आयुक्त।

टिप्पण :- मूल नियम झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में, एस. ओ - 28, तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन एस. ओ - 43, तारीख 28 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 26/2018-राज्य कर, तारीख 28 जून, 2018 द्वारा किया गया था।
